पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण शासकीय कोष पर पड़ने वाला बोझ

2431. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री "25 फरवरी, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 362 और तारांकित प्रश्न 54 तथा 4 मार्च, 1997 को अतारांकित प्रश्न 1076 के" दिये गये उत्तरों को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने के कारण शासकीय कोष पर कितने व्यय का बोझ पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर प्रतिवर्ष 8800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनियमितताओं को नियंत्रित करने हेतु सतर्कता विभाग

2432. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में अनियमितताएं नियंत्रित करने हेतु अलग से सतर्कता विभाग स्थापित हैं;

(ख) यदि हां, तो यह विभाग किस स्तर पर कार्यरत हैं;

(ग) अप्रैल, 1994, 1995 और 1996 में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक के उपर्युक्त विभाग में कितने-कितने कार्मिक कार्यरत थे; और

(घ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रत्येक विभाग द्वारा अनियमितता और गबन संबंधी वर्ष-वार कितने मामले पकड़े गये थे तथा कितने मामलों में अपराधियों को दण्डित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रधान कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रभार में सतर्कता विभाग है जो सामान्यतया महाप्रबंधक के स्तर का होता है और वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। जबकि अधिकांश बैंकों में निरीक्षण और सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारियों के प्रभार में हैं, कुछ बैंकों में, निरीक्षण को अलग कर दिया गया है और कार्य की प्रमात्रा के कारण पृथक अधिकारी को दे दिया गया है। इसलिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के नियंत्रणाधीन विभागों में कार्यरत कर्मकारों की संख्या अलग-अलग बैंक में अलग-अलग होती है। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में सतर्कता विभाग में कार्यरत कर्मकारों की संख्या से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में पता लगाए गए धोखाधड़ियों की कुल संख्या से संबंधित तत्काल उपलब्ध सूचना, उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि और 1993, 1994, 1995 और 1996 के दौरान धोखाधड़ियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना नीचे दी गई है:—

		1993	1994	1995	1996
1.	धोखाधड़ियों की संख्या	2213	2266	1898	1491 (सित० तक)
2.	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु० में)	320.32	200.08 +यूगांडा शिलिंग 9844000	115.51	264.21 (सित० तक)
3.	दोषी ठहराये गए कर्मचारियों की सं०	57	50	33	08 (जून तक)
4.	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़ा, छोटा दण्ड दिया गया		1248	1160	585 (जून तक)
5.	बर्खास्त/हटाए गए/निकाले गए कर्मचारियों की संख्या	312	360	301	146 (जून तक)